

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

प्रभुदयाल

बनाम

भूमिधारी नीमकाथाना

स मुकदमा

वाद पत्र 88


मु 0.532 सन् 2024

जीसीएमएस नं. 2024/1150

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर वाद पत्र पेश हुआ। वादी की ओर से श्री सुरेश कुमार सैनी एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 21.01.2025 को पेश हो।


(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना

21/1/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ताक सब मे
अज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 10/2/25 को पेश हो

11⁰³
2025

राजनीम अक्काश हॉटेल पर पत्रावली अज
पेश हुई। वकील बारी उप.। तहसीलदार नीमकाथाना
से जांच रिपोर्ट मांगवाने हेतु तहसील जारी होकर
एवम् तलबी प्रतिवादी मिसल दिनांक 17/04/2025
को पेश हो।



पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/4/25
को पेश हो

28/4/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में बस्थ है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/4/25
को पेश हो।

30/04/2025

वकुलाम उपा. वकील वादी द्वारा मुख्य परिशिष्ट चार्ज
शपथ पत्र PW₁ ता PW₂ पेश किये जो शामिल मिल
किये गये। पेशाबुदा शपथ-पत्र पर लिख कर काद
तस्वीक शामिल मिल किये गये। वाले शपथ हेतु रिपोर्ट
तस्वीक नीमलावाता मिल दिनंक 30/05/2025 को पेश
है।

Handwritten signature

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपास्था
P.O साहब दीगर कार में बस्था है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनंक 13/6/25
को पेश हो।

13/6/25

पत्रावली पेश हुई। अभियोगपत्र में
पत्रावली कार्य का स्थिति
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनंक 18/6/25 को पेश हो।

याचालय
पक्ष का

पक्ष
का
आ

13/6/25

पत्रावली पेश हुयी 1 वकुलाम उपा. उपा. उपा.
में सुनवायी हेतु कार-2 आवाज लगायी गयी।
आवाज कार-2 आवाज लगाने पर भी वकुलाम
अथवा पक्षकारान में है हाजिर अदालत
नहीं आय। कतः कार्यवाही उपा. उपा. उपा.
अदालत में रवाजिय सिवा जाल है।
पत्रावली केवल सुमात हेतु नकर है कम
हेतु रफ्तार दाखिल है निर्णय कर
इजलास सुनाया गया

Handwritten signature